

का.आ. सं. ईडी/ /2021
 संख्या:ईडी/261/अधिसंख्यक पद /भाग-1

मंडल रेल प्रबं. कार्यालय,रतलाम
 दिनांक 04/01/2021

कार्यालय आदेश

विषय: चिकित्सा विकोटीकृत कर्मचारियों के लिये अधिसंख्यक पद का सृजन - मेडिकल विभाग
 -रतलाम मंडल।

- संदर्भ:1. रेलवे बोर्ड का पत्र क्रमांक ई(एनजी)/1/96/आर.ई/3/9(2) दिनांक 29.04.99 तथा MSOP-F-पेरा-66
 2. मु.चि.अ.-रतलाम का पत्र सं. एमडी/164/2भाग 9/20-21 दिनांक 01.12.2020.
 3. कर्मचारी श्री राजेश कुमार बी, वरि. एचए अधीन मुख्य चिकित्सा अधिक्षक-रतलाम का
 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिनांक 22.12.2020, अग्रेषित दिनांक 24.12.2020.

श्री राजेश कुमार बी, वरि. एचए अधीन मुख्य चिकित्सा अधिक्षक-रतलाम वेतनमान रु. 5200-20200 + 1800/- ग्रेड पे (लेवल-1) (MACPS GP-2000 / लेवल-2) को मु.चि.अ.-रतलाम के संदर्भित पत्र (2) सं. एमडी/164/2भाग 9/20-21 दिनांक 01.12.2020 के अनुसार रेलवे की समस्त मेडिकल केटेगरी में अनफिट (invalidation) घोषित किया गया है।

संदर्भित (3) के द्वारा कर्मचारी श्री राजेश कुमार बी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिनांक 22.12.2020 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

अतः कर्मचारी के पक्ष में दिनांक 01.12.2020 से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने की दिनांक तक की अवधि के लिये अधिसंख्यक पद वेतनमान रु. 5200-20200 + 1800/- ग्रेड पे (लेवल-1) का सृजन किया जाता है। इसके एवज में सीधी भर्ती वेतनमान रु. 5200-20200 + 1800/- ग्रेड पे (लेवल-1) का 01 पद फ्रिज किया जाये। कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने पर सृजित किया गया अधिसंख्यक पद स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

इसे लेखा विभाग के नोट सं. RTM\F\FE\20-21\97 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा वित्तीय सहमति प्राप्त है।

इस पर मंडल रेल प्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(दीपक परमार)
 मंडल कार्मिक अधिकारी
 कृते मं.रे.प्र.(स्था) रतलाम

प्रतिलिपी:

मंरेप्र./अमंरेप्र. को कृपया सूचनार्थ।

मु.चि.अ./वरि.मं.वि.प्रबं/वरि.मं.का.अधि./स.का.अ. रतलाम

मु.का.अ-ईडी/वेतन/ईपी/निपटारा/लिपिक-सेपु-/पीआरटी-लिपिक/रतलाम, मु.क.एवं क.निरी.

मु.का.अ.-रेलवे चिकित्सालय, संबंधित कर्मचारी

मंडल मंत्री - वे.रे.म.सं./वे.रे.ए.यू./एससी-एसटी एसौ./ओबीसी एसौ. - रतलाम मंडल

अजजा एवं ओबीसी एसौ. रतलाम मंडल, उक्त आदेश ई-समाधान पर उपलब्ध है।